सं. 21/5/2017-ई.II(बी)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, 07 जुलाई, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को परिवहन भत्ता प्रदान किए जाने के संबंध में 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किया जाना।

सरकार द्वारा 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर विनिश्चय किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति यह विनिश्चय करते हैं कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए परिवहन भत्ता निम्नलिखित दरों पर स्वीकार्य होगा:

वेतन लेवल जिसमें कर्मचारी वेतन आहरित कर रहे हैं	**परिवहन भत्ते की प्रतिमाह दरें**	
	अनुबंध में दिए गए नगरों में तैनात कर्मचारी	**अन्य स्थानों पर तैनात कर्मचारी**
9 और उससे ऊपर	₹7200 + उस पर महंगाई भत्ता	₹3600 + उस पर महंगाई भत्ता
3 से 8	₹3600 + उस पर महंगाई भत्ता	₹1800 + उस पर महंगाई भत्ता
1 और 2	₹1350 + उस पर महंगाई भत्ता	₹900 + उस पर महंगाई भत्ता

2. परिवहन भत्ते की मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी:

(i) यह भत्ता उन कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य नहीं होगा जिन्हें सरकारी वाहन की सुविधा प्रदान की गई है।

(ii) उन कर्मचारियों के संबंध में, जो अपनी पुनरीक्षण-पूर्व वेतन-संरचना/वेतनमानों में बने रहने का विकल्प चुनते हैं, इन आदेशों के तहत इस भत्ते का निर्धारण 01.01.2016 को धारित पद, जैसा कि केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 में दर्शाया गया है, के वेतन मैट्रिक्स में संगत लेवल के अनुरूप होगा।

(iii) व्यय विभाग के दिनांक 31.08.1978 के का.ज्ञा. सं. 19029/1/78-ई.IV(बी) और उत्तरवर्ती आदेशों में यथा-उल्लिखित मंद दृष्टि, शारीरिक विकलांग, मूक एवं बधिर/क्षीण श्रवण शक्ति, मेरुदण्ड विकृति नामक वर्गों के शारीरिक रूप से अक्षम कर्मचारियों के संबंध में परिवहन भत्ते का भुगतान, विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी किए जाने के अध्यधीन, सामान्य से दुगुनी दरों पर किया जाता रहेगा, जो किसी भी हालत में ₹2250/- प्रतिमाह + महंगाई भत्ते की लागू दरों से कम नहीं होगा।

(iv) वेतन मैट्रिक्स में लेवल 14 और उससे ऊपर के लेवल में वेतन आहरित करने वाले अधिकारियों, जो व्यय विभाग के दिनांक 28.01.1994 के का.ज्ञा. सं. 20(5)-ई.II(ए)/93 के अनुसार सरकारी कार का उपयोग करने के पात्र हैं, को सरकारी कार की सुविधा का लाभ लेने या ₹15,750/- प्रतिमाह + महंगाई भत्ते की दर से परिवहन भत्ता आहरित करने का विकल्प दिया जाएगा। ₹15,750/- प्रतिमाह + महंगाई भत्ते की दर से परिवहन भत्ते की अनुमति दिए जाने से पहले प्रशासनिक मंत्रालय अधिकारी द्वारा चुने गए विकल्प की जांच करेगा और दिनांक 28.01.1994 के पूर्वोक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुसार सरकारी

कार का उपयोग करने की उसकी पात्रता को सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना अपेक्षित होगा। यदि कोई अधिकारी ₹15,750/- प्रतिमाह + महंगाई भत्ते की दर से परिवहन भत्ता आहरित करने का विकल्प चुनता है, तो उसे उसके वर्तमान कार्य की शेष अवधि के दौरान अपना विकल्प बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. **निम्नलिखित परिस्थितियों में परिवहन भत्ते की स्वीकार्यता:-**

(क) **<u>छुट्टी के दौरान</u>**: यदि छुट्टी किसी पूरे कैलेंडर महीने (महीनों) के लिए ली जाती है, तो यह भत्ता उस महीने (महीनों) के लिए देय नहीं होगा।

(ख) **<u>विदेश में प्रतिनियुक्ति के दौरान</u>:** यह भत्ता विदेश में प्रतिनियुक्ति की अवधि में स्वीकार्य नहीं होगा।

(ग) **<u>दौरे पर रहने के दौरान</u>:** यदि कोई कर्मचारी दौरे पर रहने के कारण पूरे कैलेंडर महीने (महीनों) के लिए मुख्यालय/तैनाती के स्थान से अनुपस्थित रहता है, तो वह उक्त महीने (महीनों) के दौरान परिवहन भत्ते के लिए पात्र नहीं होगा। तथापि, यदि उसकी अनुपस्थिति किसी पूरे महीने (महीनों) की नहीं है, तो परिवहन भत्ता पूरे महीने के लिए स्वीकार्य होगा।

(घ) **<u>ड्यूटी के रूप में मानित प्रशिक्षण के दौरान</u>:** यदि प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने के लिए कोई परिवहन भत्ता/यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता प्रदान नहीं किया जाता तो ऐसे प्रशिक्षण के दौरान यह भत्ता प्रदान किया जा सकता है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के दौरान सरकारी दौरे पर, यदि दौरे की अवधि पूरे कैलेंडर महीने की हो तो यह भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा। विदेश में प्रशिक्षण के दौरान भी, यदि ऐसे प्रशिक्षण की अवधि पूरे कैलेंडर महीने की हो, तो परिवहन भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।

(ङ) **<u>विशेष दलों के सदस्यों द्वारा नगर के अंदर किंतु मुख्यालय से 8 किमी से अधिक दूरी पर निरीक्षण/सर्वेक्षण ड्यूटी के दौरान या मुख्यालय के अंदर या बाहर लगातार फील्ड ड्यूटी के दौरान:</u>** परिवहन भत्ता आवास से कार्य स्थल आने-जाने में हुए व्यय की क्षतिपूर्ति के लिए दिया जाता है। यदि कोई कर्मचारी पूरे कैलेंडर महीने की अवधि के लिए फील्ड/निरीक्षण/सर्वेक्षण ड्यूटी या दौरे के लिए रोड माइलेज/दैनिक भत्ता या नि:शुल्क परिवहन की सुविधा प्राप्त करता है, तो वह उस कैलेंडर महीने के लिए परिवहन भत्ते का पात्र नहीं होगा।

(च) **<u>वेकेशन स्टॉफ के लिए:</u>** वेकेशन स्टॉफ, परिवहन भत्ते के लिए पात्र है बशर्ते कि ऐसे स्टॉफ को कोई नि:शुल्क परिवहन सुविधा न दी गई हो। तथापि, जब ऐसे वेकेशन का दौर, हर प्रकार की छुट्टी सहित, पूरे कैलेंडर महीने (महीनों) तक चला हो, तो यह भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।

(छ) **<u>निलंबन के दौरान:</u>** चूंकि निलंबन के दौरान संबंधित सरकारी कर्मचारी का कार्यालय आना अपेक्षित नहीं होता, अत: यदि निलंबन की अवधि पूरे कैलेंडर महीने (महीनों) की हो, तो वह कर्मचारी परिवहन भत्ते के लिए पात्र नहीं होगा/होगी। यदि निलंबन की अवधि को अंत में ड्यूटी मान लिया जाता है, तब भी यही स्थिति लागू रहेगी। यदि निलंबन की अवधि आंशिक कैलेंडर महीने की है, तो उक्त महीने के लिए देय परिवहन भत्ते को उसी अनुपात में कम कर दिया जाएगा।

4. **ये आदेश 01 जुलाई, 2017 से लागू हैं।**

5. ये आदेश केन्द्र सरकार के सभी सिविल कर्मचारियों पर लागू होंगे। ये आदेश उन सिविल कर्मचारियों पर भी लागू होंगे जिन्हें भुगतान "रक्षा सेवा प्राक्कलनों" से किया जाता है। सशस्त्र बल कार्मिकों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में आदेश अलग से क्रमश: रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा जारी किए जाएंगे।

6. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए गए हैं।

(ऐनी जॉर्ज मैथ्यू)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग - मानक वितरण सूची के अनुसार।

प्रतिलिपि: नियंत्रक महालेखापरीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग, आदि को मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार

अनुबंध

जनगणना-2011 के अनुसार नगरों/कस्बों के पुनर्वर्गीकरण पर परिवहन भत्ते की उच्चतर दरों के लिए पात्र (1 अप्रैल, 2015 से) नगरों/कस्बों की सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	नगर/कस्बे का नाम
(i)	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—
(ii)	आंध्र प्रदेश/तेलंगाना	**हैदराबाद (नगर बस्ती)**
(iii)	अरुणाचल प्रदेश	—
(iv)	असम	---
(v)	बिहार	**पटना (नगर बस्ती)**
(vi)	चंडीगढ़	---
(vii)	छत्तीसगढ़	—
(viii)	दादरा और नगर हवेली	—
(ix)	दमन और दीउ	---
(x)	दिल्ली	**दिल्ली (नगर बस्ती)**
(xi)	गोवा	---
(xii)	गुजरात	**अहमदाबाद (नगर बस्ती); सूरत (नगर बस्ती)**
(xiii)	हरियाणा	---
(xiv)	हिमाचल प्रदेश	---
(xv)	जम्मू और कश्मीर	---
(xvi)	झारखंड	—
(xvii)	कर्नाटक	**बंगलौर/बंगलुरु (नगर बस्ती)**
(xviii)	केरल	**कोची (नगर बस्ती); कोझीकोड (नगर बस्ती)**
(xix)	लक्षद्वीप	---
(xx)	मध्य प्रदेश	**इंदौर (नगर बस्ती)**
(xxi)	महाराष्ट्र	**बृहन् मुंबई (नगर बस्ती); नागपुर (नगर बस्ती); पूना (नगर बस्ती)**
(xxii)	मणिपुर	---
(xxiii)	मेघालय	---
(xxiv)	मिजोरम	---
(xxv)	नगालैण्ड	---
(xxvi)	ओडिशा	—
(xxvii)	पुदुचेरी (पांडिचेरी)	—
(xxviii)	पंजाब	—
(xxix)	राजस्थान	**जयपुर (नगर बस्ती)**
(xxx)	सिक्किम	---
(xxxi)	तमिलनाडु	**चेन्नई (नगर बस्ती); कोयम्बटूर (नगर बस्ती)**
(xxxii)	त्रिपुरा	---
(xxxiii)	उत्तर प्रदेश	**ग़ाजियाबाद (नगर बस्ती); कानपुर (नगर बस्ती); लखनऊ (नगर बस्ती)**
(xxxiv)	उत्तराखंड	---
(xxxv)	पश्चिम बंगाल	**कोलकाता (नगर बस्ती)**